फर्द अहकाम

श्री रामस्वरूप बनाम मदनलाल वगैरह

नाम न्यायालय –सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या– प्रार्थना पत्र 5/2020

08/10/2020

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने के कारण। उक्त प्रार्थना पत्र को विड्रा करना चाहते है। वकील प्रार्थीगण द्वारा संशोधित उनवान व प्रार्थी संख्या 1 के वारिसान का वकालतनामा पेश किया गया। साथ ही वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आर्डर 22 नियम 3 सहपठित धारा 151 सीपीसी 1908 दिनांक 30.09.2020 को पेश की गई थी। जो शामिल पत्रावली है। वकीलप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र का विड्रो करना चाहता है तथा वकील अप्रार्थी द्वारा नो ऑबजेक्शन किया है। तथा इस प्रार्थना पत्र से संबधित वाद को प्रार्थीगण द्वारा विड्रो करने पर तथा वाद को स्वीकार करने पर उक्त प्रार्थना पत्र को चलाने का कोई औचित्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से प्रार्थी का अवमानना प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम होकर फैसल शुमार होकर दाखिल कम होकर हो।

8/10/20

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2020.11.26 11:43:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner